

1703
25/11/20

रिपोर्ट पटवारी हत्या/ आइओएल0आर0
आवेदन पत्र को सम्बन्ध में जांच की गई। जिससे उपरोक्त

प्राणी का नाम पेमा डू पोर-जा है। जबकि प्राणी के दस्तावेजों में
प्रेमातरा डू पोकरराय रती है। अतः प्राणी का नाम पेमा डू पोर
के अग्राम प्रेमातरा डू पोकरराय रिग नाम उल्लानिर है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी, गुढागौड़जी
पत्रावली नं. 25/11/20

क्रमांक राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर दिया है कि आवेदन पत्र में वर्धितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/ उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अधिसूचना की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है

25/11/20
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/ गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंडुनू (राज.)
:- आदेश :-

दिनांक :- 25/11/20

प्राणी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/ गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 133 के अनुसार में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/ गुढागौड़जी को राजस्व रिचार्ड में अमल दरानद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बत	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिचार्ड में दर्ज की जानी है।)
01.	गुडा	2075-2078	62	पेमा डू पोर	प्रेमातरा डू पोकरराय

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहना हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 25/11/20

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 1625-26

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/ गुढागौड़जी को वास्ते पलनार्थ।
2. प्राणी/ प्राणिया H.S. ... डू पोकरराय ... को सूचनार्थ।



उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी